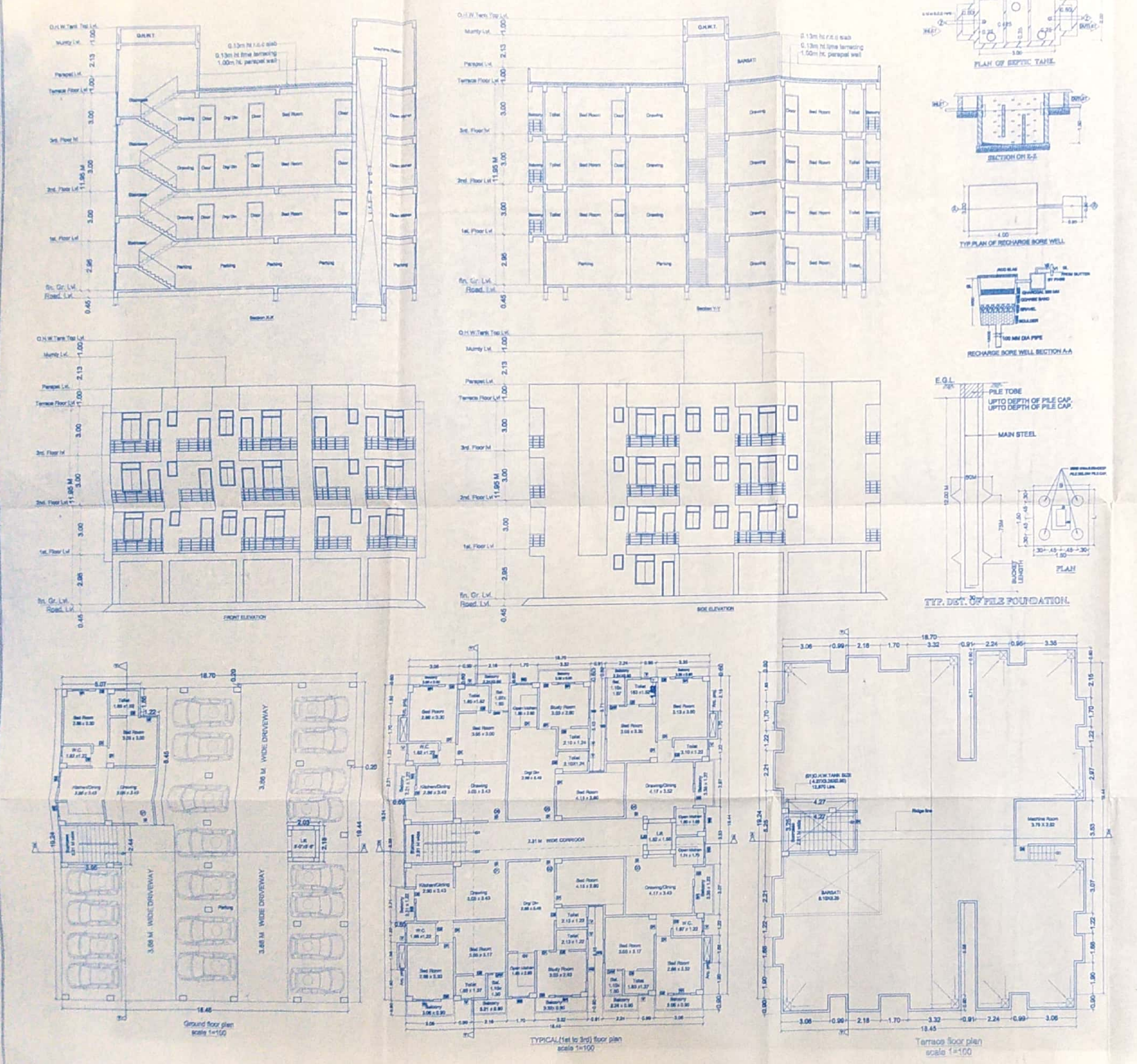

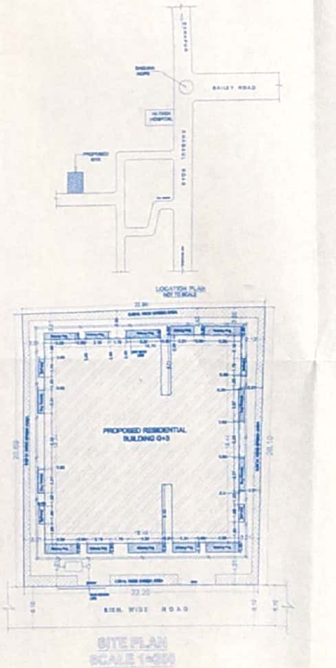

PARKING CALCULATION :-

RESIDENTIAL
TOTAL B/U AREA ALL FLOOR =1162.48 sqm.
PARKING AREA REQ. @ 25% OF B/U AREA,
SO TOTAL PARKING AREA REQ.
= 1162.48X 25% =290.62 sqm.

PROVIDE GROUND FLOOR PARKING =292.41 sqm (PROVIDED)

SEPTIC TANK CALCULATION :-

TOTAL NO. OF FLAT = 19 nos.
EACH FLAT HAVING 5 PERSON
SO TOTAL NO OF PERSON = 19 x 5 = 95 PERSON
PER PERSON NEED 0.085 CUM. CAPACITY OF SEPTIC TANK PER DAY SO TOTAL REQ. CAPACITY OF SEPTIC TANK = 95 X 0.085 = 8.07CUM.
PROVIDED SEPTIC TANK 1 NOS
SIZE = 3.00 X 2.00 X1.5 = 9.00 CUM.

WATER TANK CALCULATION :-

TOTAL NO. OF FLAT = 19 nos.
EACH FLAT HAVING 5 PERSON
SO TOTAL NO OF PERSON = 19 x 5 = 95 PERSON
PER PERSON NEED 135 Ltrs PER DAY
TOTAL PERSON NEED = 95x135 = 12,825.00 Ltrs.
TOTAL WATER TANK REQUIRED
12,825.00 Ltrs.
PROVIDED WATER TANK 1 NOS.SIZE
(1.)4.27X3.25X0.90 =14.17 CUM=12,870.00 Ltrs. (PROVIDED)

GREEN SPACE CALCULATION :-

TOTAL NET PLOT AREA = 584.06sqm.
GREEN AREA REQUIRED @10% OF TOTAL PLOT AREA = 58.40sqm.

PROVIDED GREEN SPACE AREA =64.23 sqm.

WATER HARVESTING SUMP CALCULATION :-

TERRACE FLOOR AREA = 407.22 sqm.
RAIN WATER HARVESTING SUMP REQ. 6 CUM FOR EVERY 100 SQM. TERRACE AREA, SO TOTAL REQ. CAPACITY OF SUMP = 4.07 x 6 = 24.42 CUM.
PROVIDED TANK SIZE = 4.00x3.00x3.00 = 36.00 cum

SCHEDULE OF DOORS & WINDOWS

TYPE	WIDTH	HEIGHT	SILL	LINTEL	DESCRIPTION
D	1.07	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
D1	0.99	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
D2	0.91	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
D3	0.76	2.13	0.0	2.13	Single Leaf Door
W	1.37	1.78	0.76	2.54	Glazed window
W1	1.07	1.78	0.76	2.54	Glazed window
DW	0.76x0.88	2.54x1.78	0.00x0.76	2.54	Door & window
V	0.61	0.61	1.52	2.13	Ventilator

SPECIFICATION:-

1. FOUNDATION R.C.C. UNDER REAMMED PILE FOUNDATION 8.0M DEEP WITH PROPER RE-INFORCEMENT.
2. SUPER STRUCTURE 1ST CLASS BRICK WORK IN SUPER STRUCTURE WITH CEMENT MORTAR (1:6)
3. PLINTH HEIGHT G.L. AND P.L. AS SHOWN IN SECTION
4. FLOORING 25mm THICK I.P.S. FLOORING OVER 125 TH. DRY REAMMED KHOA OVER 75mm TH. BRICK FLAT SOLLING OVER SAND FILLING
5. ROOF 10m THICK AVERAGE LIME TERRACING OVER R.C.C. ROOF SLAB.
6. DOORS CHOWKHATS OF DOORS TO BE SAL WOOD.
7. WINDOWS ALL WINDOWS TO BE FULLY GLAZED IN STEEL FRAME.
8. PLASTER 12mm THICK CEMENT PLASTER ON BOTH SIDE OF BRICK WALL.
9. COLOURING COLOUR OR WHITE WASH AS PER CHOICE.

AREA CALCULATION :-

TOTAL PLOT AREA AS/ DEED =607.33 SQM.
TOTAL PLOT AREA AS/SITE =584.06 SQM.

Ground Floor b/u area	65.20 m²
First Floor b/u area	365.76 m²
Second Floor b/u area	365.76 m²
Third Floor b/u area	365.76 m²
Total b/u area	1162.48 m²

F.A.R.= 1162.48/584.06=1.99

PLOT DETAIL :-

PROPOSED RESIDENTIAL BUILDING OF KIRTI SAGAR CONSTRUCTION PVT.LTD.
DIRECTOR-SRI.SIKANDER KUMAR,
S/O SRI.VIDYA SAGAR SINGH,
SITUATED ON S. PLOT NO. - 477,
KHATA NO.-216,THANA NO.-24,
TAUZI NO.- 5234,MAUZA - MAINPURA,
THANA- DANAPUR,DIST. - PATNA

SCALE.	NORTH.
1 : 100 1 : 200	

KIRTI SAGAR CONSTRUCTION PVT. LTD.
DIRECTOR

SIGNATURE OF BUILDER / OWNER

Ar. UMASHANKAR KUMAR
Regd. Architect-CA/2011/54023
EMP. No.-29/Arch/2018/NPDN
NAGAR PARISHAD DANAPUR

SIGN. OF EMPANELLED ARCHITECT /ENGINEER

A. E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

Building Plan No. 47/19-20

बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली 2017 (RERA) की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा प्राधिकरण में इस परियोजना का निबंधन अनिवार्य होगा।

J. E.
Nagar Parishad Danapur Nizamat

Scanned by CamScanner

फारम-VIII - क

कार्यालय नगर परिषद दानापुर निजामत

भवन की योजना के अनुमोदन

उपविधि संख्या- 8(4)

आप के आवेदन संख्या- 14 तिथि- 06.04.2019 के संदर्भ में

मेसर्स कृति सागर कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री सिकन्दर कुमार, पिता-श्री विद्या सागर सिंह, पता-आर्य समाज मंदिर रोड, बेली रोड, दानापुर, पटना।

(क) आवासीय भवन के निर्माण

(ख) व्यवसायिक भवन के निर्माण

(ग) भवन के पुनःनिर्माण

(घ) विद्यमान भवन में परिर्वतन या परिवर्धन

(ड़) भवन के उपयोग में परिवर्तन

हेतु दानापुर नगर परिषद/नगर निगम/नगर परिषद/नगर पंचायत/महानगर क्षेत्र/बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधिन स्कीम के ..14.. **प्लौट नं0- 477, खाता नं0- 216, तौजी नं0-5234, थाना नं0- 24, मौजा- मैनपुरा, पता-थाना- दानापुर, जिला- पटना** के बाबत निम्नलिखितशर्तो/निर्वधनों के अध्याधीन एतद् द्वारा भवन योजना जिसका प्लान केस नं0-....47..../19-20 है, जिसका **निर्माण क्षेत्रफल 1193.12** वर्ग मीटर एवं **G+3** की स्वीकृति दी जाती हैः-

(क) भूमि/भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिक्रार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोगों को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया **315.00** वर्ग मीटर का पार्किंग का स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि **6.10 मी0** चौड़ाई के अनुमोदित पहूंच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजन प्राधिकारों/ या बिहार शहरी आयोजन तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार क्षेत्रों के अधिनस्थ नगर परिषद दानापुर आयोजना क्षेत्र में **0.0 वर्ग मीटर** चौड़ी भूमि की पट्टी उक्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबंध के अधीन दी गई अनुमति को उस भूखंड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गई हो, के अधिकार, हक, हित बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी।

Scanned by CamScanner

(झ) योजना के अनुमोदन के पश्चात् भू-अभिलेख के कारण या अधिकार/हक/हित की बाबत कोई विवाद होने पर विवाद की अवधि के दौरान योजना का अनुमोदन स्वतः रद्द समझी जायेगी।

(ञ) बिहार भू-सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली (RERA), 2017 की शर्तों के अधीन राज्य में गठित भू-सम्पदा विनियमन प्राधिकरण से इस परियोजना का निबंधन कराना अनिवार्य होगा।

(ट) भू-स्वामित्व एवं नक्शा से संबंधित समस्त दस्तावेजों / कागजात के सत्यापन की जिम्मेवारी आवेदक की है। भविष्य में इसमें किसी प्रकार की त्रुटि / हेर-फेर / कपटपूर्ण रचना पाये जाने पर नक्शा अस्वीकृत किये जाने के साथ-आवेदक के विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

(ठ) भवन का निर्माण स्वीकृत नक्शे के अनुरूप ही किये जायें, भविष्य में किसी भी प्रकार के अनियमितता / विचलन पाये जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जवाबदेही आवेदक की होगी एवं विधि सम्मत कार्रवाई के पात्र होंगे।

(ड) Environmental Protection Act. के तहत बहुमंजिले भवन के निर्माण के दौरान ढ़क कर निर्माण किया जाना अनिवार्य होगा।

(ढ) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम (Solid Waste Management Rules),2016 का अनुपालन किया जाय।

(ट) **अफोर्डेबल हाउसिंग एण्ड स्लम रिहैबिलिटेशन एवं रिडेवलपमेन्ट हाउसिंग पॉलिसी, 2017** के अन्तर्गत शेल्टर फण्ड की राशि जमा करने के उपरान्त ही भवन का निर्माण करना होगा।

(ण) अन्य शर्त

बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 एवं बिहार भवन उपविधि 2014 के संगत प्रावधानों का अक्षरसः अनुपालन करते हुये भवन निर्माण किया जायेगा।

ह0/-

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

ज्ञापांकः- 47 /दिनांकः- 16/08/2019

प्रतिलिपिः- मेसर्स कृति सागर कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0, डाईरेक्टर-श्री सिकन्दर कुमार, पिता-श्री विद्या सागर सिंह, पता-आर्य समाज मंदिर रोड, बेली रोड, दानापुर, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

नगर कार्यपालक पदाधिकारी
नगर परिषद दानापुर निजामत

Scanned by CamScanner